RCMS 2011/0000/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 76/2011

उनवान

लोकेश सुमन आत्मज प्रेमशंकर सुमन जाति माली निवासी बरनापाडा, रेतवाली कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम

परमानन्द उर्फ उच्छवलाल आत्मज कालूलाल तथाकथित मोडूलाल जाति माली निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2 श्री तेजमल जैन (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण नं0 896 दिनांक 25.01.2011
न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद

निर्णय दिनांक : 13.12.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा खोले गये नामा0 संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 के विरूद्व प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के एकतरफा निर्णय दिनांक 05.09.2008 के विरूद्व स्वंय मोडूलाल ने दिनांक 10.07.2009 को एकतरफा डिक्री निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी संहिता अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3 के समक्ष पेश कर रखा था जिसमे दिनांक 25.03.2010 को रेस्पोडेन्ट ने उपस्थिति दी थी तथा पत्रावली मे जवाब पेश करने के लिये समय चाहा था । मोडूलाल अपने जीवनकाल मे दिनांक 20.09.2007 को अपीलाण्ट के पक्ष मे गवाह हनुमान व योगेश पंचोली के समक्ष वसीयत की थी तथा वसीयत को दिनांक 20.09.2007 को ही उप पंजीयक कोटा के समक्ष पंजीकृत करवाया था । इस पंजीकृत वसीयत के आधार पर ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसों के संबंध मे बिना जांच किये आदेश दिया है जो अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा है जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट स्वंय ने नामा0 अपने पक्ष मे तस्दीक करने हेतु दिनांक 25.01.2011 को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को इग्नोर कर रेस्पो0 मे मिली भगत कर दिनांक 25.01.2011 को ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसों के संबंध मे ग्राम पंचायत से जांच नही की गई तथा दुर्भावना पूर्वक रेस्पो0 को अनुचित लाभ पहूंचाने के उद्देश्य से बिना ग्राम पंचायत की जांच के लिये भेजे स्वंय ने तस्दीक कर दिया जबकि नामान्तरकरण मे लिये ग्राम पंचायत को 45 दिन के लिये भेजा जाना आवश्यक है । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट इस आश्य का प्रस्तुत किया कि बिना अपीलान्ट को सूचित किये नामान्तकरण तस्दीक किया है जिसकी जानकारी नकल प्राप्त करने पर दिनांक 25.02.2011 को हुई । दिनांक 28.10.2010 से दिनांक 23.02.2011 तक अवधि कन्डोन फरमाई जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष मे तस्दीक करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील मेंमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया । चूंकि उक्त आदेश निरस्त हो चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2011 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 29.11.2019 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त प्रकरण मे मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन होने से उक्त प्रकरण मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश की प्रतिक्षा मे पेण्डिग रखा जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है ।

पत्रावली से स्पष्ट है कि विवादित नामा0 सं0 896 दिनांक 25.01.2011 मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के आधार पर मृतक मोडू पुत्र घासी माली के रेस्पोडेन्ट को गोदपुत्र मानते हुए उसके स्थान पर गोदपुत्र परमानन्द उर्फ उच्छवलाल जाति माली नि0 मण्डाना के नाम खोला गया था । मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2013 से निर्णय व एक पक्षीय डिक्री दि0 05.09.2008 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया । माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 29.08.2019 से रेस्पोडेन्ट द्वारा दायर वाद खारिज किया गया । जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय मे करने पर आदेश दिनांक 29.11.2019 से अपीलांट को भूमि alienat नही करने हेतु पावन्द किया गया है ।

चूंकि प्रश्नगत नामान्तकरण सं0 896 मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के आधार पर रेस्पोडेन्ट को मृतक मोडू पुत्र घांसी माली का गोदपुत्र मानते हुए खोला गया जो माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 29.08.19 से वाद खारिज किया जा चुका है । अतः रेस्पोडेन्ट को मृतक मोडू का गोदपुत्र मानने व भूमि रेस्पो0 के हक मे दर्ज करने का आदेश अपास्त हो चुका है । परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेन्च जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 होने से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण सं0 896 दिनांक 25.01.2011 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील मे पारित निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करे ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा